भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./07/64/2019/एफ.सी/240 दिनाँक: 14.08.2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Rail/40280/2019)

विषय: उत्तर रेलवे द्वारा सीतापुर कैंट–रोजा सेक्शन (किमी0 सं0 0.000 से 80.300 तक) के रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 6.1133 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर वन प्रभाग में प्रभावित 8.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 8 वृक्षों के पातन, सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 30.6259 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1203 वृक्षों के पातन तथा दक्षिण खीरी वन प्रभाग में प्रभावित 24.06 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 454 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 69.5992 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 1700 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–पी–57/81–2–2019–800(78)/2019, लखनऊ, दिनांक–26.07.2019.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–पी–57/81–2–2019–800(78)/2019, लखनऊ, दिनांक–26.07.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रकरण को दिनांक–08.08.2019 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 40.4-UP) शामिल किया गया था, जिसमें विचारोपरान्त प्रकरण को सशर्त स्वीकृति प्रदान की गयी है। विषयांकित प्रकरण पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि उत्तर रेलवे द्वारा सीतापुर कैंट–रोजा सेक्षन (किमी0 सं0 0.000 से 80.300 तक) के रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 6.1133 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 35 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर वन प्रभाग में प्रभावित 8.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 8 वृक्षों के पातन, सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 30.6259 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1203 वृक्षों के पातन तथा दक्षिण खीरी वन प्रभाग में प्रभावित 24.06 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 454 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 69.5992 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 1700 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि (69.5992 x 2 = 139.1984 ha.) अर्थात् 161 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
3. (क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   (ख)इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

   (ग)प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
5. उत्सर्जित मलवे को वन क्षेत्र से बाहर ठीक सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में अपरिहार्य परिस्थिति में एवं न्यूनतम संख्या में वृक्षों का पातन वन विभाग की देख रेख में किया जाएगा।
7. प्रस्तावित स्थल के ले–आउट प्लान (Layout Plan) में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति के किसी प्रकार परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
8. आवागमन एवं परियोजना के लिए सामग्री ले जाने के लिए प्रस्तावित स्थल में अतिरिक्त नए मार्ग के निर्माण नहीं किया जाएगा।
9. वन क्षेत्र में वीति नियंत्रण सम्बन्धी साईन बोर्ड रेलवे लाइन के किनारे नियमित अन्तराल पर स्थापित किये जायेंगे।
10. क्षतिपूरक वृक्षारोपण शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं अन्य सभी धनराशि Campa fund में e-portal द्वारा जमा की जाएगी एवं e-receipt उपलब्ध करवाई जाएगी।
11. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
14. रेलवे लाईन के किनारे रिक्त पड़े उपयुक्त स्थलों पर परियोजना व्यय पर वृक्षारोपण कराया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावर्णीय स्वीकृति यदि आवश्यक हो, प्राप्त की जायेगी।
16. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
17. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
18. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना ई0पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
4. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, हरदोई, शाहजहाँपुर, सीतापुर, दक्षिण खीरी, उ0प्र0।
5. अधिशासी अभियन्ता (निर्माण), उत्तर रेलवे डी0आर0एम0 आफिस, काम्प्लैक्स, मुरादाबाद, उ0प्र0।
6. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रत्रावली।

(के0के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)